भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 912

बुधवार, 07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई संबंधी समन्वय समिति

912. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2006 में गठन किए जाने से अब तक निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई संबंधी समन्वय समिति द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उद्योग द्वारा स्वैच्छिक कार्रवाई के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर प्रगति अर्जित करने के सबसे अच्छे तरीके ने इस दिशा में कोई उपलब्धि हासिल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शीर्ष उद्योग संघों ने समावेशन सुनिश्चित करने हेतु अपनी सदस्य कंपनियों के लिए शिक्षा, नियोजनीयता और उद्यमिता को केंद्र में रखकर स्वैच्छिक आचार संहिता तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) से (घ): निजी क्षेत्र में एससी/एसटी के लिए सकारात्मक कार्रवाई के लिए सरकार ने वर्ष 2006 में समन्वय समिति गठित की थी। अब तक इस समन्वय समिति की 09 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। समन्वय समिति की पहली बैठक में यह कहा गया कि सकारात्मक कार्रवाई से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका उद्योग जगत द्वारा स्वैच्छिक कार्रवाई है। तदनुसार, शीर्ष उद्योग संघों, नामत: भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंड्रस्ट्री (फिक्की), एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) और दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीआईसीसीआई) ने अपनी सदस्य कंपनियों के लिए शिक्षा, रोजगार योग्यता और उद्यमिता और समावेशन प्राप्त करने के लिए रोजगार पर केंद्रित स्वैच्छिक आचार संहिता (वीसीसी) तैयार की है।

उद्योग संघों के सदस्यों द्वारा किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कोचिंग आदि शामिल हैं। शीर्ष उद्योग संघों नामत: सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और डीआईसीसीआई द्वारा प्राप्त एससी/एसटी के लिए सकारात्मक कार्रवाई पर नवीनतम अद्यतन जानकारी अनुबंध के रूप में संलग्न है।

*****

अनुबंध

दिनांक 07.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 912 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

उद्योग संघों अर्थात सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और डीआईसीसीआई द्वारा निजी क्षेत्र में एससी/एसटी के लिए सकारात्मक कार्रवाई पर सूचना

		सीआईआई दिनांक **30.06.2023** तक	फिक्की दिनांक **31.03.2023** तक	एसोचैम दिनांक **31.12.2020** तक	डीआईसीसीआई दिनांक **31.03.2018** तक
एससी/एसटी को अब तक दिए गए कुल लाभ					
1.	छात्रवृत्ति	1,73,954	1,18,875	3,620	-
2.	लड़कों और लड़कियों को निशुल्क शिक्षा	-	47,14,174	-	-
3.	व्यावसायिक शिक्षा और प्लेसमेंट (i+ii):	5,77,674	15,69,318	39,301	1,725
	(i) प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	3,67,733	14,22,474	38,531	1,180
	(ii) व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के बाद नियुक्त व्यक्तियों की संख्या	2,09,941	1,46,844	770	545
4.	उद्यमिता विकास कार्यक्रम	4,730	2,87,086	399	364
5.	कोचिंग	26,357	13,159	-	-
6.	एससी/एसटी का वास्तविक रोजगार	2,28,203	17,191	-	8,880

* स्रोत: उद्योग संघों द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्ट।

****